रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 273] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 1981/आषाढ़ 1, 1903
No. 273] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 1981/ASADHA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 1981

का० आ० 501(अ):—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 128 (अ)/18चक/18कक/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एंड क्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 5 मार्च, 1973 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 146 (अ)/18चक/18कक/उ० वि० वि० अ०/78 तारीख 3 मार्च, 1978 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, 5 मार्च, 1978 से दो वर्ष की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, यह राय होने पर कि सर्वसाधारण के हित में यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति पूर्वोक्त सात वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध करना जारी रखे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबंध एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाए;

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 29 फरवरी, 1980 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध दो वर्ष की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 145 (अ)/18चक/18कक/उ० वि० वि० अ०/80, तारीख 5 मार्च, 1980 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को 5 मार्च, 1980 से एक वर्ष की और अवधि के लिए, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 144(अ), तारीख 4 मार्च, 1981 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, 5 मार्च, 1981 से आरम्भ होने वाली छह मास की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

अब, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है, जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति से लागू रहेगा जैसे यह उपर्युक्त

अधिनियम की धारा 18क के साथ पठित धारा 18क के अधीन आदेश के जारी होने से पूर्व था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	ऐसे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए, स्तम्भ (1) में उल्लिखित उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू होंगे।
1	2
धारा 166 और 210 (1)	इन धाराओं के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि यद्यपि कम्पनी के तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा वार्षिक साधारण अधिवेशन के सम्मुख रखे जाने की आवश्यकता नहीं है, तथापि वह तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा प्रारम्भिक रूप से तैयार करेगा और उन्हें कानूनी विवरणियों सहित कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा।
धारा 217	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस सीमा तक लागू नहीं होंगे कि बोर्ड की रिपोर्ट साधारण अधिवेशन के सम्मुख रखी जानी अपेक्षित नहीं है।
धारा 224 और 225	इन धाराओं के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि संपरीक्षकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
धारा 293 (1) (घ)	इस उपधारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे, जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर अधिरोपित करे।
धारा 169 और 294	इन धाराओं के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।

[फा० सं० 2(1)/80-सी० यू० एस०]
चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 22nd June, 198

S.O. 501 (E) :—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128 (E)/18FA/18AA/IDRA/73 dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973;

And whereas the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 146(E) /18FA/18AA/IDRA/78 dated the 3rd March, 1978, authorised the auhorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of two years from the 5th March, 1978;

And whereas the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interests of general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the period of seven years aforesaid, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of one year;

And whereas the said High Court by its Order dated the 29th February, 1980, permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of two years;

And whereas the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 145(E)/18FA/18AA/IDRA/80 dated the 5th March, 198), authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year from the 5th March, 1980;

And whereas the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 144 (E) dated the 4th March, 1981 authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months commencing from the 5th March, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18FA, read with section 18AA, of the aforesaid Act.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions, limitations subject to which the provisions mentioned in Col. (1) shall apply to the industrial undertaking.
1	2
Section 166 and 210(1)	Provisions of these sections shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that while the balance sheet and profit and loss account of the Company need not be placed before the annual general meeting, it shall, however, prepare balance sheet and profit and loss account as usual and file them with the Registrar of Companies along with statutory returns.
Section 217	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking to the extent that the Board's report is not required to be placed before the general meeting.
Sections 224 and 225	Provisions of these sections shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that auditors shall be appointed by the Central Govt.
Section 293(1)(d)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking subject to such conditions that the Central Government may impose from time to time.
Sections 169 and 294	Provisions of these sections shall not apply to the said industrial undertaking.

[F. No. 2 (1)/80—CUS]
C. K. MODI, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981